पत्रांक–2/एम–54/2015(पार्ट)– /

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 01-7-15

विषय :– जिला स्तर से चिकित्सकों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कई जिलों में जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन/अन्य पदाधिकारियों द्वारा कुछ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को अपने पदस्थापना के अतिरिक्त दूसरे संस्थानों में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जिससे मूल पदस्थापित संस्थान में आये मरीजों को समुचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाती है और प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

2– अतः उक्त आलोक में विभिन्न जिलों में जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन/अन्य पदाधिकारी द्वारा की गयी सभी प्रतिनियुक्तियों को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है। साथ ही ऐसे सभी प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं कर्मी को दिनांक–03–07–2015 के अपराह्न से मूल पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि यदि विशेष परिस्थिति में किसी चिकित्सा संस्थान में प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव भेजें ताकि उसपर समुचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही भविष्य में बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किये किसी भी चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए।

विश्वासभाजन,

1/7/15

(आनन्द किशोर),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/एम–54/2015(पार्ट)– 839(2) **पटना, दिनांक–** 01/7/2015

प्रतिलिपि–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/15

सरकार के सचिव।

D/Vimal/C.S.Prasad/Letter